मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग,
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक 2253/2/पंजी/2019 भोपाल, दिनांक 26.10.2019
प्रति,

समस्त वरिष्ठ जिला पंजीयक/
जिला पंजीयक, मध्यप्रदेश

विषय :— संपत्ति में पत्नि/पुत्री का नाम शामिल किए जाने संबंधी विलेख पर अतिरिक्त शुल्क के संबंध में।

जैसा कि आपको विदित है, अचल संपत्ति के विक्रय/दान/भोग बंधक/बंधक से संबंधित दस्तावेजों पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961/मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 के अंतर्गत क्रमशः 3 प्रतिशत, 3 प्रतिशत तथा 1 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त शुल्क प्रभार्य है। स्टाम्प अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 25 के परन्तुक "च" के अंतर्गत निष्पादित लिखत, जिसके द्वारा कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति में अपनी पत्नि/पुत्री का नाम पृथकतः या संयुक्ततः जोड़ा जाता है, पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क अधिसूचना दिनांक 29.06.2019 अनुसार 1000 रुपए की अधिकतम सीमा के अध्यधीन लाया गया है।

उक्त दस्तावेज अचल संपत्ति के विक्रय/दान/भोग बंधक/बंधक में से किसी भी श्रेणी में न आने से इन पर अतिरिक्त शुल्क की प्रभार्यता का औचित्य नहीं बनता।

विधि विभाग द्वारा इस संबंध में दी गई व्याख्या अनुसार पत्नि या/और पुत्री/पुत्रियों को अपनी संपत्ति में सह—स्वामी बनाने के विलेख पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961/मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धाराओं क्रमशः 161, 133—क तथा 75 के प्रावधान आकृष्ट नहीं होते।

उक्त से स्पष्ट है कि स्टाम्प अनुसूची 1—क के अनुच्छेद 25 के परन्तुक "च" के अंतर्गत निष्पादित विलेखों पर मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961/मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, 1956/मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धाराओं क्रमशः 161, 133—क तथा 75 में प्रावधानित अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा। अतएव, जब तक संपदा प्रणाली में विधिक स्थिति अनुसार संशोधन समाविष्ट नहीं किए जाते, तब तक ऐसे विलेखों पर स्टाम्प अधिनियम की धारा 31 के अधीन न्याय निर्णयन की प्रक्रिया का आश्रय लिया जा सकता है, ताकि पक्षकारों को अनावश्यक रूप से अतिरिक्त शुल्क के रूप में बढ़ हुए शुल्क का भुगतान करने के लिए विवश न होना पड़े।

तदनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चत की जाए।

(मनु श्रीवास्तव)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग

पृष्ठांकन क्रमांक 2254/2/पंजी/2019 भोपाल, दिनांक 26.10.2019
प्रतिलिपि :—

1. महानिरीक्षक पंजीयकन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ। कृपया संपदा प्रणाली में यथा आवश्यक संशोधन शीघ्र कराएँ।
2. समस्त परिक्षेत्रीय उप महानिरीक्षक पंजीयन, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ।

प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
वाणिज्यिक कर विभाग